

आदेश

वित्त विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-4685, दिनांक-25.06.03 एवं संकल्प सह ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 में वर्णित प्रावधानों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में लिपिक संवर्ग के कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देने हेतु संबंधित जिला/इकाई/वाहिनियों से प्राप्त मनोनयन/अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक-06.07.2022 एवं बाद की तिथियों में आयोजित पुलिस महानिदेशक पर्सद की बैठक में लिपिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को योग्य पाते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्तंभ 06 एवं 07 के अनुरूप ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जाता है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि	देय ए0सी0पी0 एवं उसकी तिथि	देय एम0ए0सी0पी 0 एवं उसकी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नूतन साहुकार/ लिपिक/01.04.62	पटना	29.04.1999	29.04.2002	-	प्रथम 09.09.2015	विभागीय लेखा परीक्षा विमुक्ति की तिथि से
2	सुनील चौधरी /प्रधान लिपिक/ 01.12.68	पटना	14.10.1988	14.10.2009	-	तृतीय 14.10.2018	
3	सुधीर कुमार सिंह/लेखोत्तीर्ण लिपिक/18.08.73	पटना	03.06.2010	03.06.2013	-	प्रथम 03.06.2020	
4	राजेश रंजन श्रीवास्तव/ लेखोत्तीर्ण लिपिक/ 02.02.69	पटना	22.05.1996	22.05.1999	-	द्वितीय 22.05.2016	
5	मनोरमा देवी/ लेखोत्तीर्ण लिपिक/ 25.01.82	पटना	15.03.2002	15.03.2005	-	प्रथम 23.11.2015	विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से
6	अमित कुमार भूषण/लेखोत्तीर्ण लिपिक/12.01.88	गया	23.08.2011	23.08.2014	-	प्रथम 23.08.2021	

वेस्ट

M. S. R.

क्र० सं०	नाम / पदनाम / जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	देय एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	अग्रयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
7	से०नि० मो० रुहानी गुलजारी / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 08.04.52 / से०नि०	नालंदा	03.01.1974	03.01.1977	प्रथम 09.08.1999 द्वितीय 09.08.1999	तृतीय 01.01.2009	
8	आमोद कुमार सिन्हा / प्रधान लिपिक / 01.08.61 (सेवा निवृत्त)	बि०वि०स०पु 0-14 पटना	27.03.1989	23.03.1992	—	तृतीय 27.03.2019	
9	विश्वनाथ शर्मा / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 02.02.62	बि०वि०स०पु 0-14 पटना	26.03.1999	26.03.2002		प्रथम 26.03.2009 द्वितीय 26.03.19	
10	विपिन कुमार अम्बष्ट / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 22.09.63	मुंगेर	14.09.1992	14.02.1995	—	द्वितीय 20.08.2016	
11	योगेन्द्र प्रसाद पाल / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 19.03.62	म०स०वा० सासाराम	20.05.1989	25.05.1992		द्वितीय 09.09.2017	
12	मधुकर कुमार / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 05.05.76	भोजपुर	30.12.2006	30.12.2009	—	प्रथम 30.12.2016	
13	सुजीत कुमार / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 03.12.74	भोजपुर	24.01.2007	25.01.2010	—	प्रथम 11.05.2019	भोजपुर जिला वि०का० संख्या-41 / 16, घ०ति०-11.05.16 में सजा प्रभाव की समाप्ति की तिथि से

Seen

Asst

क्र० सं०	नाम / पदनाम / जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	देय एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
14	कुशन यादव / लेखोत्तीर्ण लिपिक /	भोजपुर	01.08.2008	01.08.2011	—	प्रथम 01.08.2018	
15	विश्वजीत कुमार सिन्हा / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 01.02.65	दरभंगा	21.09.1999	22.09.2001	—	द्वितीय 21.09.2019	
16	अजीत कुमार / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 15.09.77	रेल पटना	29.01.2000	29.01.2003	—	द्वितीय 29.01.2020	
17	रश्मि वर्मा / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 01.11.74	रेल पटना	05.07.2008	05.07.2011	—	प्रथम 05.07.2018	
18	मनीष कुमार / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 05.03.86	रेल पटना	09.07.2009	17.11.2017	—	प्रथम 01.04.2021	विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से
19	राजेन्द्र प्रताप सिंह / से०नि० लिपिक / 08.11.59	रेल पटना	16.04.1987	19.10.2015	—	प्रथम 20.07.2017	विभागीय लेखा परीक्षा से विमुक्ति की तिथि से
20	त्रिभुवन नाथ झा / लेखोत्तीर्ण लिपिक / 03.02.1963	रेल जमालपुर	01.10.1991	01.10.1994	—	तृतीय 01.10.2021	
21	राम प्रसाद चौधरी / प्रधान लिपिक / 02.03.62	जमुई	14.03.1985	14.03.1988		तृतीय 14.03.2015	

Vu

15/8

क्र० सं०	नाम/पदनाम/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि	देय ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	देय एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
22	राय अमलेन्द्र कुमार शर्मा/प्रधान लिपिक/01.10.58/से०नि०	रेल पटना	01.04.1985	01.04.1987	-	तृतीय 01.04.15	

2. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि/पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को उस हद तक रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की नियमानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. ऐसे कर्मी जिनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय कार्यवाही/विभागीय जाँच/फौजदारी मुकदमा यदि लंबित हो अथवा ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० देय तिथि को वृहद सजा प्रभावी हो तो उनके ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ लंबित रखते हुए पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

4. ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ हेतु योग्य पाये गये कोई कर्मी इस बीच स्थानान्तरित हो गये हो तो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० योजना का लाभ उनके नये पदस्थापन स्थान से भुगतये होगा।

5. लिपिकीय संवर्ग के वैसे कर्मी जिनका पूर्व में प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० संशोधित हुआ हो एवं अगला वृत्ति उन्नयन किसी कारण से देय नहीं हो तो उक्त कारण का निराकरण करते हुए ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने हेतु अनुशंसा के साथ मनोनयन अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),

बिहार, पटना

ज्ञापांक-पी०-०५/१७-०१-०४-२०२२/३१८...

बिहार पुलिस मुख्यालय

(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना दिनांक-१५/०९/२०२२

प्रतिलिपि:-

- सभी संबंधित पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक(रेल/इकाई सहित), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी संबंधित समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- आई० टी० मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेषित।

पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),

बिहार, पटना

वेबसाईट

आदेश

लिपिक संवर्ग के कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु जिला/इकाई/वाहिनियों से प्राप्त मनोनयन/अनुशंसाओं के आलोक में दिनांक-06.07.2022 एवं बाद की तिथियों में आयोजित पुलिस महानिदेशक पर्सद की बैठक एवं दिनांक-10.08.2018 को लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में लिपिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों के मामले स्तम्भ 03 में वर्णित कारणों से विचारण की परिधि से बाहर रखने का निर्णय लिया गया, जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	पद एवं नाम जन्मतिथि वर्तमान पदस्थापन	विचारण की परिधि से बाहर रखने का कारण
1	2	3
1	मुकेश कुमार/लेखोत्तीर्ण लिपिक/23.09.71/सारण	द्वितीय एम०ए०सी०पी० हेतु अवधि पूर्ण नहीं
2	सुशीला देवी/लिपिक/19.05.69/बि०वि०स०पु०-2, डिहरी ऑन-सोन	विभागीय लेखा परीक्षा से विमुक्ति 50 वर्ष की उम्र सीमा के पूर्व की तिथि से दी गयी है, जिसमें संशोधन आवश्यक है।
3	गुंजन विशाल/लेखोत्तीर्ण लिपिक/01.03.80/बि०वि०स०पु०-4, डुमरांव	गांधी मैदान थाना काण्ड सं०-306/2022, दिनांक-01.06.2022, धारा- 406/407/420/504/506/34 भा०द०वि० के प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार


पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना


ज्ञापांक-पी०-05/17-01-04-2022/319

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक:- 15/09/2022

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई० टी० मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक),
बिहार, पटना

